

## अधिसूचना / Notification

संदर्भ: आईआरडीएआई/आरईआईएन/एनओटी/आरआईएन/101/5/2022 दिनांक: 19-05-2022  
Ref: IRDAI/REIN/NOT/RIN/101/5/2022 Date: 19-05-2022

### **विषय: पुनर्बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन** **Re: Reconstitution of Reinsurance Advisory Committee**

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के अंतर्गत विद्यमान उपबंधों के अनुसार, प्राधिकरण इसके द्वारा नीचे उल्लिखित रूप में अध्यक्ष और सदस्यों के साथ पुनर्बीमा सलाहकार समिति (आरएसी) का पुनर्गठन करता है:

As per provisions under Section 101B of the Insurance Act, 1938; the Authority hereby reconstitutes the Reinsurance Advisory Committee (RAC) with the Chairman and Members as mentioned below:

क्रम सं. S.N.	नाम / Name	पदनाम और संस्था Designation & Organisation	आरएसी में पद Position in RAC
1	श्री धनंजय दाते Shri Dhananjay Date	भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, स्विस आरई, भारत Former Managing Director, Swiss Re, India	अध्यक्ष Chairman
2	श्री आर. चंद्रशेखरन Shri R. Chandrasekaran	भूतपूर्व प्रमुख, पुनर्बीमा, चोलमंडलम एमएस जनरल Former Head of Reinsurance, Cholamandalam MS General	सदस्य Member
3	श्री जी. श्रीनिवासन Shri G. Srinivasan	निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकादमी Director, National Insurance Academy	सदस्य Member
4	श्री पारिजात दत्ता Shri Parijat Dutta	भूतपूर्व महाप्रबंधक, जीआईसी आरई, भारत Former General Manager, GIC Re, India	सदस्य Member

उप महाप्रबंधक (पुनर्बीमा) उक्त पुनर्बीमा सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।  
The DGM (Re-insurance) will function as Secretary to the Reinsurance Advisory Committee.

उक्त समिति तत्काल प्रभाव से गठित की जाती है तथा इस समिति का कार्यकाल आईआरडीएआई वेबसाइट पर इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

The committee is constituted with immediate effect and the tenure of the committee shall be for a period of three years from the date of publication in the IRDAI website.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।  
This has approval of the Competent Authority.

(एस पी चक्रवर्ती / S P Chakraborty)  
मुख्य महाप्रबंधक (पुनर्बीमा) / Chief General Manager (Reinsurance)